2005: सीजीएचसी :4975

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़
विविध अपील क्रमांक 988/2004

अपीलार्थी

प्रतिवादी संख्या 01 — बीर सिंह आ0 उमेदराम उम्र लगभग 19 वर्ष]
निवासी ग्राम खारगांव तह. खरसिया]
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

बनाम

प्रव्यर्थीगण

वादीगण

1– प्रताप सिंह आ0 कुशाल सिंह] उम्र लगभग 60 वर्ष

2– तालम सिंह आ0 कुशाल सिंह सिदार] उम्र लगभग 47 वर्ष
दोनों निवासी ग्राम खारगांव तह0 खरसिया]
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

3– श्रीमती वृंदाबाई पति स्व. श्री कुशाल सिंह]
उम्र लगभग 80 वर्ष

4– भागवत सिंह आ0 भूतनेश्वर] उम्र लगभग 40 वर्ष

5– दरबार सिंह आ0 भूतनेश्वर सिंह] उम्र लगभग 35 वर्ष

6– दादू सिंह आ0 भूतनेश्वर सिंह] उम्र लगभग 38 वर्ष

7– सुकमतबाई पति स्व. श्री भूतनेश्वर सिंह] उम्र लगभग 70 वर्ष]
प्रव्यर्थीगण क्रमांक 3 से 7 निवासी ग्राम खारगांव
तह0 खरसिया] जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

8– छत्तीसगढ़ राज्य] द्वारा कलेक्टर– जिला रायगढ़ (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2005: सीजीएचसी :4975

<u>सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 43 (1) (आर) के तहत विविध अपील</u>

उच्च न्यायालय] छत्तीसगढ़] बिलासपुर

मामला क्रमांक एम.ए. 988/04

दिनांक 22.02.2006

श्री संजय के. अग्रवाल अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता

श्री अमित शर्मा हस्तक्षेपकर्ता/प्रव्यर्ती क्रमांक 1 और 2 के विद्धान अधिवक्ता

यह विधिक अपील व्या.प्र.सं. के आदेश 43 नियम (1) (आर) के तहत विचारण न्यायालय द्वारा पारित अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश के खिलाफ पेश की गई है ।

इसके बाद पक्षकारों का वर्णन उसी प्रकार किया जाएगा जैसा कि उन्हें विचारण न्यायालय के समक्ष वर्णित किया गया था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

घोषणा और अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद वादी द्वारा दायर किया गया था] प्रकरण प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख वादी पर बाध्यकारी नहीं है और इस प्रकार] प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा क्रेता को कोई हक हस्तांतरित नहीं किया गया है।

विचारण न्यायालय के समक्ष वादी का मामला यह है कि स्व. कुशाल सिंह और भुवनेश्वर सिंह 33–804 हेक्टेयर जमीन के मालिक थे और उनकी मृत्यु के बाद जमीन उनके उत्तरधिकारियों के नाम दर्ज कर दी गई थी । हालांकि, कुशाल सिंह की विधवा अर्थात् प्रतिवादी क्रमांक 2 ने वादग्रस्त भूमि पर अपना नाम दर्ज (नामांतरण) करा लिया । हालांकि, विधवाएं उनके जाति के कारण अपने समुदाय में नहीं आती है और वे केवल आजीविका और भरण–पोषण की हकदार होती है । आगे भी तर्क गई कि वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 2 का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने पर कोई आपत्ति नहीं की क्योंकि उनके और प्रतिवादी के बीच अच्छे संबंध थे ।

प्रतिवादी क्रमांक 1 का वादग्रस्त संपत्ति पर कभी कब्जा नहीं रहीं । प्रतिवादी क्रमांक 1 के उकसावे पर लगभग दिनांक 01–06–2003 को प्रतिवादी क्रमांक 2 ने अनुसूची ए में वर्णित अनुसार वादग्रस्त भूमि का बंटवारे हेतु आवेदन प्रस्तुत किया । नायब तहसीलदार खरसिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–09–2003 प्रतिवादी क्रमांक 2 के हिस्से में 2–247 हेक्टेयर विवादित वादग्रस्त भूमि आबंटित किया, जिसके खिलाफ उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे आदेश दिनांक 29–09–2003 द्वारा खारिज कर दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान दिनांक 30–09–2003 के विक्रय विलेख के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष 1]55]000@&– रूपये के प्रतिफल पर भूमि हस्तांतरित कर दी गई । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादकर्ता अपने पूर्वजों के समय से ही वादग्रस्त संपत्ति पर संयुक्त कब्जा रखते थे तथा यह कब्जा विक्रय विलेख के निष्पादन के पश्चात भी निरंतर बना हुआ है। इस दीवानी वाद के साथ–साथ वादकर्ताओं द्वारा एक अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु आवेदन भी प्रस्तुत किया गयाए जिसमें यह उल्लेख किया गया कि वादग्रस्त भूमि वादी और प्रतिवादी क्रमांक 2 से 6 के नाम पर दर्ज थी और सुविधा के लिए उन्होंने मुकदमे की संपत्ति को वादी और प्रतिवादी क्रमांक 3, 4 और 5 के मध्य वादग्रस्त भूमि का आपसी बंटवारा कर लिया गया है चंूकि वादी गोंड समुदाय से संबंधित है थे अतः उनके ऊपर हिंदू उत्तराधिकार कानून लागू नहीं होगा और वे अपने समुदाय में प्रचलित रीति–रिवाजों द्वारा शासित होते हैं, जिसमें विधवाओं और बेटियों को पैतृक संपत्तियों और कृषि भूमि में उत्तराधिकार नहीं मिलता है ।

यद्यपि प्रकरण में विक्रय विलेख के निष्पादन के पश्चात् भी वादीगढ़ वादग्रस्त भूमि पर कब्जा बनाए हुए हैं । प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 1 वादीगण को बेदखल करने का प्रयास कर रहा है । प्रतिवादी क्रमांक 2 ने अपने लिखित कथन में वादीगण के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वे गोड़ जाति के हैं तथा हिन्दू धर्म के अनुयायी है और उन्होंने हिंदू रीति–रिवाजों को अपनाया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है और साथ ही वे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन शासित है । यह भी अभिव्यक्त किया गया है कि वादिनी के पति कुशल सिंह की मृत्यु वर्ष 1993–94 में हो जाने के उपरांत, प्रतिवादियों की जानकारी में रहते हुए उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज (नामांतरण) कर दिया गया था। वादिनी ने आगे यह भी प्रस्तुत किया उन्होने आगे यह भी प्रस्तुत किया है कि वादग्रस्त भूमि का मौखिक वादकारियों तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों के मध्य उसके पति के जीवनकाल में ही हो गया था, और उक्त मौखिक बंटवारे के आधार पर विगत 25–30 वर्षों से सभी पक्षकार अपने–अपने आवंटित हिस्से पर पृथक–पृथक रूप से कब्जे में हैं। वादिनी द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि उसने पूर्ण विचार प्रतिफलद्ध प्राप्त करने के उपरांत विक्रय विलेख का निष्पादन किया तथा विक्रय की तिथि को ही वादग्रस्त संपत्ति का कब्जा प्रतिवादी संख्या 2 को स्थानांतरित कर दिया और इस प्रकार प्रतिवादी क्रमांक 2 दिनांक 30.09.2003 से संपत्ति के कब्जे में है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपनी लिखित जवाबी बयान में कहा है कि प्रतिवादी क्रमांक 2 ने पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने के पश्चात् मुकदमे की संपत्ति में अपना हिस्सा हस्तांतरित कर दिया है । उन्होने आगे कहा कि वे भी गोंड़ जाति के है और वे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत शासित है । उन्होने आगे कहा कि वादी और प्रतिवादी क्रमांक 2 अर्थात् वृंदा बाई के पति के जीवनकाल से पृथक–पृथक से निवासरत रहे हैं और वादग्रस्त संपत्ति पर खेती कर रहे हैं। मौखिक विभाजन के आधार प वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्रतिवादी क्रमांक 2 को हस्तांतरित कर दिया है और उसके द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख के माध्यम से, प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त संपत्ति कब्जा मिल गया और तब से वह उन पर काबिज है ।

विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी क्रमांक 1 को वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकन के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया था और इस आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है ।

अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि वादी और प्रतिवादी जाति से गोंड़ हैं और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2)2 (के अनुसार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान उन पर लागू नही है । उन्होंने आगे कहा कि ओरोपित आदेश के कंडिका 18 में यह निष्कर्ष दर्ज करने के बाद भी कि अभी यह निर्मित नहीं हुआ है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को अपनाया है या नहीं । प्रकरण में माना गया है वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है । अपीलकर्ता/प्रतिवादी क्रमांक 1 के अधिवक्ता का तर्क है कि विक्रेता द्वारा विक्रय विलेख में यह उल्लेख है कि उसने पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने के बाद विक्रय विलेख निष्पादित किया है और इसलिए प्रतिवादी क्रमांक 1 का मुकदमे की संपत्ति पर कब्जा है और अपने लिखत बयान में प्रतिवादी क्रमांक 2 ने कहा है कि उसने प्रतिफल प्राप्त करने के बाद जमीन हस्तांतरित कर दी है । तब भी, आरोपित आदेश के पैराग्राफ 23 में विचारण न्यायालय ने अनुमान दर्ज किया है कि प्रथम दृष्टया विक्रय विलेख बिना प्रतिफल के प्रतीत होता है AIR 2000 SC 426 विधिक प्रतिनिधि ईश्वर दास जैन (मृत), उनके विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाम सोहन लाल (मृत), उनके विधिक प्रतिनिधियों द्वारा" प्रतिवादी क्रमांक 1 अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पंजीकरण अधिनियम की धारा 58 के तहत उप–पंजीयक द्वारा किए गए समर्थन में सत्यता की धारणा है और इसे केवल एक ठोस और मजबूत सबूत द्वारा ही खंडित किया जा सकता है । वर्तमान मामले में भी विचारण न्यायालय को अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवेदन पर निर्णय लेने के लिए यह धारणा बनानी चाहिए थी । उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि यह अभी भी यह तय किया जाना है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 2)2(के प्रावधान वर्तमान मामले में लागू होते है या नहीं ।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

वादी और प्रतिवादी क्रमांक 2 के तर्कों को ध्यान में रखते हुए] विचारण न्यायालय ने गलत तरीके से माना है कि प्रथम दृष्टया मामला वादी पक्ष के मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा

पारित निर्णय पर भरोसा करते हुए] कैलाश सिंह बनाम मेवालाल सिंह गोंड जिसे एआईआर 2002 एम.पी. 112 में रिपोर्ट किया गया था। अपीलकर्ता/प्रतिवादी क्रमांक 1 के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि वादी को यह दलील देनी होगी और साबित करना होगा कि समुदाय में प्रचलित रीति–रिवाज हिंदू कानून का हिस्सा है, जिसे वैधानिक कानून यादि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 द्वारा संशोधित किया गया है और इस प्रकार यह उनके समुदाय में लागू है । 2000()8(एस.सी.सी.] 587 लाबिश्वर मांझी बनाम प्राण मांझी एवं अन्य के मामले किए गए निर्णय पर भी भरोसा किया गया है ।

इसके विपरित, प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने कहा कि आक्षेपित आदेश ठोस तर्क के आधार पर पारित किया गया है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । उन्होंने आगे कहा कि पक्षकार गोंड़ जाति के हैं और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2)2(के प्रावधान के अनुसार वे 1956 के अधिनियम द्वारा शासित नहीं है और विधवाएं और बेटियां गोंड़ समुदाय में प्रचलित रीति–रिवाजों के अनुसार उत्तराधिकारी नहीं है । उन्होंने आगे कहा कि उन्होने एस.डी.ओ. की अदालत में विभाजन की कार्यवाही शुरू की और विक्रय विलेख निष्पादित किया गया और इस तरह विक्रेता को विक्रय विलेख निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि सभी सहभागी उनके नाम पर दर्ज भूमि के स्वामी है । उन्होंने यह भी कहा कि वे वादग्रस्त संपत्ति के संयुक्त कब्जे में है और प्रतिवादी क्रमांक 2 ने कभी ब्याज प्राप्त नहीं किया था और इस प्रकार उसके पक्ष में विभाजन का आदेश चुनौती के अधीन है । विवादित आदेश के पैराग्राफ 23 का हवाला देते हुए दिनांक 29–02–2003 के स्थगन आदेश पारित करने के बाद भी जो प्रभावी था विक्रय विलेख 30–09–2003 निष्पादित किया गया । एआईआर 1996 सुप्रीम कोर्ट 1864 मधु किश्वर और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले पर भरोसा करते हुए अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि ऊपर उद्धृत निर्णय के पैराग्राफ 47 और 48 में कहा गया है कि तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और न ही भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम रीति–रिवाज से शासित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदिवासियों पर लागू होता है और जैसा कि सर्वविदित है । रीति–रिवाज लोगों से लोगों और क्षेत्र से क्षेत्र में भिन्न होते है और आदिवासी निवासियों के रीति–रिवाजों को संविधान के अनुच्छेद 14] 15 और 21 का उल्लंघन करने वाला घोषित करना वांछनीय नहीं है और प्रत्येक मामले की जांच तब की जानी चाहिए जब न्यायालय के समक्ष पूरे तथ्य रखे जाएं । इसके अलावा सोनम डोलमा और अन्य बनाम फंचोग अंगरूप और अन्य एआईआर 2002 एच.पी. (हिमाचल प्रदेश न्यायालय((77(में रिपोर्ट किए गए मामले मे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, वादी के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है चूंकि पक्षकार गोंड़ जाति से है] इसलिए 1956 का अधिनियम लागू नहीं होता है और महिला द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख अवैध है ।

मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा संबंधित पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अध्ययन किया है । यह वाद का प्रारंभिक चरण है तथा इस चरण में विचारण न्यायालय के लिए इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है कि प्रतिवादी क्रमांक 2 ने 1956 के अधिनियम से पहले हिंदू कानून के अनुसार सीमित स्वामी के रूप में संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त किया था या 1956 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण स्वामी बन गया था तथा यह तथ्य विचारण के दौरान साबित किया जाएगा । आक्षेपित आदेश में कुछ स्थानों पर, इसे विचारण न्यायालय द्वारा भी सही रूप से दर्ज किया गया है । प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वादी के पास इस आधार पर प्रथम दृष्टया मामला है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पक्षकारों पर लागू नहीं होता चूंकि वे गोंड़ समुदाय से थे । यह निष्कर्ष इस निष्कर्ष से भिन्न है कि मामले का निर्णय विचारण के समय किया जाना है । अधीनस्थ न्यायालय भी इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि पक्षकारों के पास वादग्रस्त संपत्ति का संयुक्त कब्ज़ा था और परिवार में कोई विभाजन नहीं हुआ था चूंकि अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवेदन में यह कहा गया है कि सुविधा के लिए मुकदमे की संपत्ति को वादी और प्रतिवादी क्रमांक 3 से 6 के बीच विभाजित किया गया है । विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष की विक्रय विलेख बिना किसी प्रतिफल के है]

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

बिना किसी सबूत के है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरित है क्योंकि विक्रेता और क्रेता दोनों ने अपनी दलीलों में स्पष्ट रूप से कहा है कि विक्रय विलेख प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने के बाद निष्पादित किया गया था और विक्रय की तारीख को कब्जा दिया गया था । यहां तक कि विक्रय विलेख में इस आशय का एक विवरण भी है और इसे उप–पंजीयक द्वारा पृष्ठांकित गया है और इस प्रकार यह उपधारणा है कि इसके लिए प्रतिफल का भुगतान किया गया था।

विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को भी नज़रअंदाज कर दिया है कि द्विपक्षीय विभाजन की कार्यवाही में वादग्रस्त भूमि को विभाजित करने का आदेश दिया गया था और वादी द्वारा प्रस्तुत अपील को अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था । प्रतिवादी क्रमांक 2 की दलीलें कि उसके पति के जीवनकाल में 25&30 साल पहले विभाजन हुआ था, अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवेदन के कथन का समर्थन करती है । इस प्रकार विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि वादी ने प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया है, गलत प्रतीत होता है और प्रथम दृष्टया मामला, यदि कोई है] तो पूर्वगामी पैराग्राफ में बताए गए कारणों से प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में था । वर्तमान मामले के लिए वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा, प्रतिवादी क्रमांक 2 से 1]55]000@& रूपये का भुगतान करके खरीदी गई] जो एक बड़ी राशि है और यदि वाद में प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री पारित किया जाता है । तो संबंधित भूमि वादी को वापस कर दी जाएगी और वादी को हुई हानि के लिए उचित मुआवजा दिया जा सकेगा ।

उपर्युक्त कारणों से प्रतिवादी क्रमांक 1 को वादी के वादग्रस्त भूमि पर कब्जे मे हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए विचारण न्यायालयों द्वारा पारित किया गया विवादित आक्षेपित खारिज किए जाने योग्य है और तद्नुसार यह अपील स्वीकार की जाती है तथा आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, एम.सी.पी. संख्या 1408@2004 का निराकृत किया जाता है । पक्षकार आदेश की प्रमाणित प्रति पाने के हकदार हैं ।

हस्ताक्षरित
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

Desclaimer — अस्वीकरण: हिंदी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सिमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वे अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया गया जायेगा।समस्त कार्यालयिन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रामाणित माना जायेगा और कार्यान्वयन तथा लागू किये जाने हेतु उसे वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated by Arpit Parakh